निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 आश्विन 1943 (श0)

(सं0 पटना 853) पटना, बुधवार, 6 अक्तूबर 2021

ifjogu foHkkx

अधिसूचना

5 अक्तूबर 2021

सं० 06/वायु गुणवत्ता–09–11/2019–6336@परि0——मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा–115 के अंतर्गत राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0–286 दिनांक–14.01.2021 द्वारा पटना नगर निगम तथा दानापुर नगर परिषद्, खगौल नगर परिषद् एवं फुलवारीशरीफ नगर परिषद् क्षेत्रों में दिनांक–30.09.2021 से डीजल चालित तिपहिया वाहनों के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाये जाने की तिथि को पूर्व शर्तो के अनुरूप **दिनांक–31.03.2022** तक विस्तारित किया जाता है।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
lt; dekj vxoky]
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 853-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in